भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

F.No. -: 9-PBB320/2018-CHA **दिनांक: 18 मई 2018**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ।

विषय:- **Diversion of 0.372 ha. of forest land for use of ground pipeline from Kamalwala minor to village Heerawali link road on Abohar-Fazilka road (DHS road) between km. stone no. 395.15-400.60+750 mtr link road, under Forest Division and District Fazilka, Punjab (Online proposal No. FP/PB/Others/33371/2018)- regarding**

संदर्भ:- सचिव, पंजाब सरकार, वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/38/2018/23 दिनांक 12.04.2018 और पत्र संख्या FCA/1980/38/2018/143 दिनांक 07.05.2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.372** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है|

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये |

ii. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये|

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि (0.002012 ha) की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये उसी के अनुसार संशोधित CA स्कीम भेजी जाए ।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट http//forestsclearance.nic.in या http//efclearance.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी |

v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

vi. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम हेतु 0.220 ha अतिरिक्त वन भूमि उपलब्ध करवाई जाए ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा |

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 0 और 110 पौधों से अधिक नहीं होगी|

*बेज नं.24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, **Chandigarh**-160030*
*दूरभाष/**Tel No** : 0172-2638061 **Fax No** : 0172-2638135 **Email** : ronz.chd-mef@nic.in*

iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

v. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

viii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |

ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

x. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी

4. उपरोक्त पैरा 2-के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ,वन संरक्षण अधिनियम , 1980की धारा 2-के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा |*केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |*

भवदीय,

(सी०डी० सिंह) 18/05/2018
अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण परिवर्तन जलवायु एवं वन ,मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला फजिल्का , पंजाब |
4. The Savera Beverages, SCO 69, 3rd Floor, Sector-17D, Chandigarh.

बेज नं .24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / ***Bays No.*** *24-25, Sector-31 A,* ***Chandigarh****-160030*
*दूरभाष/****Tel No*** *: 0172-2638061* ***Fax No*** *: 0172-2638135* ***Email*** *: ronz.chd-mef@nic.in*